

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 182/2014 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2014/00146)

अनवान:

1. कलावती बेवा राजाराम जाट निवासी चक 22 एम डी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

बनाम

1. मनफूलाराम पुत्र बीरबलराम जाट निवासी चक 22 एम डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।



10/6/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 10.06.2024 को सुनाया गया।

9/6/24
(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर